

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-24072026-274777
SG-DL-E-24072026-274777असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 195]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 16, 2026/आषाढ 25, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 119
No. 195]	DELHI, THURSDAY, JULY 16, 2026/ASHADHA 25, 1948	[N. C. T. D. No. 119

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 15 जुलाई, 2026

फा. सं. UD-K01/10/2026/UD/E-380689/488.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिल्ली प्रशासन की दिनांक 23.06.2016 की अधिसूचना संख्या 16(484)/शह0वि0/डब्ल्यू/2015/1027— 1028 के आंशिक संशोधन में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, दिल्ली जल बोर्ड में उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी के पद की भर्ती पद्धति के विनियमन हेतु दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए निम्नलिखित भर्ती विनियमनों को एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, अर्थात्:—

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:**—(I) इन विनियमनों को दिल्ली जल बोर्ड, उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती विनियमन, 2025 कहा जाए।
(II) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर:**—उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन विनियमनों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं**—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता**—वह व्यक्ति
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा
- (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, तो वह उक्त किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस विनियमन के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
5. **उपबंध शिथिल करने की शक्ति**—जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।
6. **बचाव**—इन विनियमनों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी
2.	पदों की संख्या	:	2*(2025) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	श्रेणी 'ख'
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (रुपये 44900-142400/-)
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यता	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा।
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है	:	पदोन्नति : ग्रेड में पाँच वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (रुपये 35400-112400) में सुरक्षा अधिकारी तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से उपाधि धारण करने वाले एवं उन्होंने दिल्ली अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण संस्थान से अग्निशमन व्यवस्था में 2 सप्ताह का प्रशिक्षण पूर्ण किया हो। टीप-1 : जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्त कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता

		सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो (02) वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। टीप 2 : पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजनार्थ, किसी अधिकारी द्वारा दिनांक 01.01.2016 से पूर्व नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा, जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित संशोधित वेतन संरचना को विस्तारित किया गया है, को वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर विस्तारित तदनुरूप वेतन / वेतनमान माना जाएगा। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):— केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों/ विश्वविद्यालयों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों /अर्द्ध सरकारी या स्वायत्त या वैधानिक संगठनों या केन्द्र/राज्य नीति या सुरक्षा संगठनों के अंतर्गत अधिकारी: (क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी; अथवा (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 के पदों में नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के पश्चात् प्रदान की गई ग्रेड में 5 वर्षों की सेवा सहित या समकक्ष ; तथा (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले— (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से उपाधि। (ii) सुरक्षा से संबंधित मामलों में दो वर्ष का अनुभव। (iii) राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर या रक्षा अग्निशमन सेवा संस्थान या किसी मान्यता प्राप्त संस्थानों से अग्निशमन व्यवस्था पाठ्यक्रम में छह माह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो। टीप 1:—भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी) में केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी) भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।) टीप 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ, किसी अधिकारी द्वारा दिनांक 01.01.2016 से पूर्व नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा, जिस तिथि से सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की
--	--	---

			अनुशंसाओं पर आधारित संशोधित वेतन संरचना को विस्तारित किया गया है, को वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर विस्तारित तदनुरूप ग्रेड पे /वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा, के अतिरिक्त जहां एक से अधिक पूर्व-संशोधित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड पे/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय हो गया हो, और जहां यह लाभ केवल उस पद (पदों) के लिए विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड पे/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) 1. सदस्य (प्रशासन) — सदस्य 2. निदेशक (ए एवं पी) — सदस्य 3. संयुक्त अपर निदेशक, सर्तकता — सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर किसी अधिकारी को नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के

आदेश तथा उनके नाम पर

पुनीत कुमार पटेल, अतिरिक्त सचिव

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 15th July, 2026

F. No. UD-K01/10/2026/UD/E-380689/488.—The following recruitment regulations made by the Delhi Water Board in exercise of the powers conferred by clause (m) sub-section (2) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998) and in Partial amendment of Delhi Administration Notification No. 16 (484)/UD/W/2015/1027-1028 dated 23.06.2016 except as respects things done or omitted to be done before such supersession for regulating the method of recruitment to the post of Dy. Chief Security Officer in the Delhi Water Board, are hereby published, namely:—

1. Short title and commencement:— (I) These regulations may be called the Delhi Water Board 'Dy. Chief Security Officer' Recruitment Regulations, 2025.

(II) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of posts, classification and Level in the Pay matrix:—The number of said posts, its classification and Level in the Pay matrix shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications:—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification:—No person;

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any persons from the operation for this regulation.

5. Power to relax the provisions:—Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving:—Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Class and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of the Post.	DEPUTY CHIEF SECURITY OFFICER
2.	No. of Post.	2*(2025) subject to variation dependent on workload.
3.	Classification	Category 'B'
4.	Level in the pay matrix	Level 7 in the Pay Matrix (Rs.44900 - 142400).
5.	Whether selection or non-selection post.	Selection
6.	Age limit for direct recruitments.	Not applicable
7.	Educational & other qualification required for direct recruits	Not applicable
8.	Whether age & educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.	Not applicable
9.	Period of probation, if any	Not applicable
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion / deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By Promotion failing which by deputation including short - terms contract
11.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	Promotion: security officer in level-6 of the pay matrix with five years regular service in the grade and possessing degree from a recognized university/ institute and have undergone 2 weeks training in firefighting arrangement from Delhi fires service training institute. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2016 the date from which the revised pay structure based on the 6th central pay commission recommendations has been extended, shall be deemed to be corresponding pay/pay scale. extended based on the recommendations of the pay commission. Deputation (including short term contract):—

		Officers under Central/State Governments. / Union territories/ universities /public sector undertaking/ semi government or autonomous or statutory organizations or central/state policy or security organizations: (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-6 of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department: and (b) possessing the following educational qualifications and experience:- (i) Degree from a recognized university/ institute. (ii) Two years' experience in the matter relating security. (iii) undergone successfully six-month training in the firefighting arrangements course from national fire service college, Nagpur or defense fire service institution or from any recognized institutions. Note 1: the departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (period of deputation(istc) including period of deputation (istc) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the central government shall ordinarily not to exceed three years. the maximum age limit for appointment by deputation (istc) shall he not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.) Note:2: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2016 the date from which the revised pay structure based on the 7th CPC recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the lost(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.
12.	If a DPC exists, what is its composition.	CATEGORY 'B' DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE (FOR CONSIDERING PROMOTION). 1. MEMBER (ADMINISTRATION.) — MEMBER 2. DIRECTOR (A&P) — MEMBER 3. JOINT ADDITIONAL DIRECTOR OF VIGILANCE — MEMBER
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	consultation with union public service commission necessary while appointing an officer on deputation (istc).

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
PUNEET KUMAR PATEL, Addl. Secy.